दूरभास संख्या - 06341 225096, 8936037954 ई-मेल - bihsei@nic.in, alok.raj@nic.in वेब साइट - http://sheikhpura.bih.nic.in

सत्यमेव जयते
Government of India

कार्यालय

जिला सूचना-विज्ञान पदाधिकारी

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, शेखपुरा जिला, बिहार

पत्रांक - NICSHK/2017/21

दिनांक – 27/03/2017

कार्यालय आदेश

किसी भी विभागीय पत्र जो जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को लिखा जाये या प्रतिलिपि दिया जाये या किसी कार्यालय आदेश में प्रतिलिपि दिया जाये, उसमें ये देखा जाये कि जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक महोदय को छोर के जिला के बाकि सभी पदाधिकारी प्रतिलिपि में " सादर सूचनार्थ प्रेषित" लिखेगे और यदि कोई कार्य हो तो उसी में "अनुरोध है की उक्त कार्य कराने की कृपा की जाये" लिखेगे ।

ज्ञातव्य हो कि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी एक सामान्य केन्द्रीय सेवा के समूह 'क' (General Centeral Service, Group-A) के पदाधिकारी है और समाहरणालय में वरियता क्रम में अभी तीसरे स्थान (IAS, IPS, GCS) पे आते है और उप विकाश आयुक्त - शेखपुरा व अपर समाहर्ता - शेखपुरा आदि राज्य सेवा के सभी समूह 'ख' स्तर के पदाधिकारी से स्वतः ही वरिये हो जाते है, अतः जिस प्रकार से वे जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक महोदय से पत्र व्यव्हार करते है उसी तरह जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी से भी करेगे अन्यथा उनका पत्र/आदेश/प्रतिलिपि अबैध माना जायेगा और संलग्न कार्य न होने कि पूरी ज़िम्मेदारी मेरे इस आदेश को नहीं मानने बाले पदाधिकारी की होगी |

केंद्रीय सेवा सम्बर्ग - राज्य सेवा सम्बर्ग के बीच प्रोटोकॉल के अनुसार किसी भी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाये की जिला सुचना विज्ञान पदाधिकारी के केंद्रीय समूह 'क' की सेवा को राज्य सेवा सम्बर्ग से मिलने वाले वरीयता प्रभावित न हो और उनके पद का मान बना रहे | किसी भी सभा में यदि उनको बुलाया जाये तो उचित स्थान जैसा की प्रोटोकॉल के अनुसार केंद्रीय सेवा सम्बर्ग को दिया जाता है प्रदान किया जाना चाहिए | यदि किसी आदेश/निर्देश से गठित कोई भी कमिटी जिसमे अध्क्षय, उपाध्क्षय या सदस्य सचिव आदि राज्य सम्बर्ग के हो तो उस में प्रोटोकॉल के अनुसार जिला सुचना विज्ञान पदाधिकारी को सदष्य नहीं बनाया जाना चाहिए व ऐसा कोई भी आदेश/निर्देश जिससे जिला सुचना विज्ञान पदाधिकारी के केंद्रीय समूह 'क' की सेवा वरीयता व पद के मान नस्ट होता हो या होने का अंदेशा हो तो उस तरह के सभी आदेश/निर्देश अवैध माने जायेंगे और संलग्न कार्य न होने की पूरी जिम्मेदारी/बाद आदेश देने वाले का होगा | यदि जिला सुचना विज्ञान पदाधिकारी को कार्यालय समय के अतिरिक्त सभा अदि में बुलाया जाये तो यह सुनिश्चित कर लिया जाये की उनके अबास से सभा स्थल तक आने जाने आदि हेतु सम्मानजनक वाहन आदि की सुबिधा पहले से प्रदान करते हुए उनको इस से अवगत करा दिया जाये अन्यथा सभा स्थल पे ससमय न पहुंच पाने और संलग्न कार्य बाधित होने की पूरी जिम्मेदारी आदेश/निर्देश देने वाले की होगी |

Alok 27/3/2017

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी व पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकाश आयुक्त - शेखपुरा व अपर समाहर्ता - शेखपुरा आदि राज्य सेवा के सभी समूह 'ख' स्तर के पदाधिकारियो को सूचनार्थ और अनुपालनार्थ प्रेषित |

Alok 27/3/2017

District Informatics Officer, N.I.C., Sheikhpura

(आलोक राज, GCS)

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी

District Informatics Officer, NIC, D. M. Office, Sheikhpura